

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम या हुकम की तारीख में जारी किया गया

6.3.18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.
अनुपरिस्थित/ पीछरीय अधिकारी
दौरे पर/ अन्य कार्य में भारत।
पत्रावली 09.05.2018 आइन्दा
दिनांक 2.2.18 को पेश हो

1008
6-3-18

12⁰³/₁₈

पत्रावली सादर आदेश अन्तर्गत अभियान
न्याय आदेश 2018 में दिये जाने
योग्य पापी चीजों के अदल
सेवा केन्द्र बाम्ही में 09.05.2018

छोटरमेदा
रामनवाशवा
मुकेश

09⁰⁵/₁₈ पत्रावली आज राजाम लोड अदालत अन्ति
याम: न्याय आपसे प्रेषण अर्पित 2018 के
तहत छैय स्थल अदल के अन्तर्गत, वासी
में पेश हुई। गरी रंग परिवारी नं० 1 व 2
ने अपानित होय निवेदन छिन् डि डिमेंड
09⁰²/₁₈ के विवादित पक्षकारों के महप राजी-
नामा होय माननीय न्यायालय प्रेषण रखी
छिन् जा चुका है। हम अन्त राजीनामे ले
सहमत है। अतः अन्त राजीनामा दाय
डिन् करमाया जावे। पक्षकारों के निवेदन
पर श्रमिधारी तहसीलदार पबेल ने कोई
आपत्ति जाहिर नली छी।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध
राजाम निवेदन व राजीनामा का अन्तर्गत
छिन् गय जिन्के अन्तर्गत से एव लोड
अदालत की आवना से वादी का वाद
रखीका छिन् जाये सोय प्रेषण जाये जा
स्वीकार छिन् जाय वरु राजीनामा डिन्
छिन् जाय है अतः घोषणा की जाती है
कि :-

उद्देश

तन ग्राम कालीजेज का ए० बाम्ही अन्तर्गत
कुछ श्रमि नं० 88 रकब ०.४४ है
सम्पूर्ण व श्रमि नं० 87 व 94 रकब

तारीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>0.09 ई० में 1/2 हिस्सा का वादी के खोलेदार काइतकार घोषित किया जाता है तथा उक्त नाम नम्बर के प्रति- वादी सं० 1 ता 5 का नाम हजुड किया जाता है। तन ग्राम रामपुरा का ह० सं० 1 अवस्थित कृषि अति का सं० 1257, 1258, 1259 रकब 1.3000 ई० में वादी व प्रति- वादी सं० के नाम दर्ज दिना 2/3 व 1/3 हिस्सा में से 2/3 अर्थात् 2/3 हिस्सा की खोलेदारी से प्रतिवादी सं० का नाम हजुड किया जाकर अउले वादी के खोले- दार काइतकार घोषित किया जाता है। तन ग्राम कालीबिज का ह० वासी अवस्थित का सं० 95, 96 रकब 2.01 ई० में से वादी को 65/201 हिस्सा का तथा शेष 136/201 हिस्सा का प्रतिवादी सं० का को खोलेदार काइतकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से के प्रतिवादी सं० का नाम हजुड किया जाता है। उक्तानुसार नाफ्त रिपोर्ट में असल परामर्ह हो तदनुसार पचा डि० अर्थात् है। पत्रावली सं० 2/201 का सं० नम्बर से कम हो तथा 3/201 तक वाकिल पत्र हो। निर्णय मजसे आस मुनाफा गण।</p>	


 सहायक कलेक्टर (आस ट्रेड)
 लखनौ (सीकर)

डिग्री मुकदमा इत्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेड) मुकाम खखेला
 श्री भागीरथ शाह, RAS
 छीतर पुत्र बाबूराम * बनाम ① रामनारायण पुत्र बाबूराम *
 दावा बाबत जोषणा व रखाई निवेद्याजा
 मुकदमा नं. 27 रात 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाह, RAS
 बिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

श्री बसन्त कुमार वर्मा (पुत्र) का 88 रकबा 0.88 हे० सम्पूर्ण का व अर्जी नं० 87
 का इतका जोषित किया जाता है तथा इफ्त खमना नम्बरान *
 मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि
 नं० 88 रकबा 0.88 हे० सम्पूर्ण का व अर्जी नं० 87
 का इतका जोषित किया जाता है तथा इफ्त खमना नम्बरान *
 मुबलिनग * बाबत *
 खर्चा-इस मुकदमें के मय सूद नशरह * फीसदी गवाहाना आज की तारीख से
 तारीख अदायागी तक * का अदा करें।

तसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 05 सन 2018 को जारी की गई।

दस्तखत
 सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेड)
 खखेला (सीकर)

मुहई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प तकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

मीजान

✕ जाति कुम्हार निवासी अठबीघा तन रामपुरा तहसील जयेल
जिला सीकर (राज्)

— (वादी)

बनाम

✕ ① मूलचन्द ② शंकरलाल ③ सुन्दरलाल


④ मुदेश पुत्रगण मांगरमल

जाति कुम्हार निवासी अठबीघा तन रामपुरा
तहसील जयेल जिला सीकर (राज्)

⑥ भूमिद्वारी तहसीलवार जयेल जिला सीकर (राज्)

— (प्रतिवादीगण)

✕ से प्रतिवादी सं० 1 तऽ 5 का नाम हजुड डिया
जाता है। तन ग्राम रामपुरा प० ह० रामपुरा
अपचित हूँडे अरि क्र० नं० 1257, 1258,
1259 रकब 1.3000 ह० में वादी व प्रतिवादी
सं०) के नाम पर हिनका 2/2 व 1/2 हिस्सा
में से 2/3 अर्थात् 2/9 हिस्सा की जानेगी
से प्रतिवादी सं०) का नाम हजुड डिया जाकर
अछेले वादी के जानेवाए काइतका घोषित
डिया जाता है। तन ग्राम कालीजेग प० ह० वासी
अपचित क्र० नं० 95, 96 रकब 2.01 ह० में
से वादी के 65/201 हिस्सा का तथा शेष
136/201 हिस्सा का प्रतिवादी सं० 2 तऽ 5 के
जानेवाए काइतका घोषित डिया जात है
तथा उक्त हिस्सों से प्रतिवादी सं०) का
नाम हजुड डिया जात है। उक्तानुसार
वाजाने रिपोर्ट में असल फ़रामद है।


सहायक जिलाधिकारी (फारट ट्रेक)
सीकर (सीकर)